राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4158/2022

सुमन कुमारी –अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.09.2022
आदेश की दिनांक : 11.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.के. सिंगोदिया, अभिभाषक

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में संशोधन वास्ते संशोधित अपील प्रस्तुत की, उस पर उनको सुना गया। संशोधित अपील स्वीकर कर संशोधित अपील को रिकॉर्ड पर लिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग अधिकारी के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छापडा, झुन्झुनूं में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र, लोहावट, जोधपुर किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे तर्क है कि अपीलार्थी न तो अधिशेष है न ही एपीओ है लेकिन बिना मस्तिष्क के प्रयोग के अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2022 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छापड़ा में किया गया था, जिसके विरूद्व अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण में अपील संख्या 623/2022 दायर की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 07.03.2022 द्वारा अपील स्वीकार की गई थी, जिसकी पालना में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.03.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा

अपीलार्थी को कार्यमुक्त करने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छापडा में कार्यभार ग्रहण किया गया था। अपीलार्थी का छः माह की अल्पावधि में ही पुनः स्थानान्तरण किया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को निरंतर नर्सिंग अधिकारी के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छापडा, झुन्झुनूं में कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई रिकार्डेड प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलार्थी अपने वर्तमान पदस्थापन स्थल पर अधिशेष नहीं है तथा निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (अराजपत्रित) द्वारा अपीलार्थी का रिक्त स्थान पर पदस्थापन किया गया हो। अतः अपीलार्थी अपील में तथ्यों को प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज योग्य होने से एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक............................को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य